

भारत सरकार/**GOVERNMENT OF INDIA**
रेल मंत्रालय/**MINISTRY OF RAILWAYS**
रेलवे बोर्ड /**RAILWAY BOARD**

RBE No. 113 /2025

No. 2020/E(LL)/AT/MW/2

New Delhi dated: 30.10.2025

The General Managers,
All Zonal Railways and Production Units,
Metro Railway/Kolkata, CORE/Prayagraj,
The CAO (Construction), All Indian Railways,
The Director General, RDSO/Lucknow,
The DG/National Academy of Indian Railways, Vadodara,
The DGs/IRICEN, IRIEEN, IRISSET, IRIMEE, IRITM,
The CAO, Rail Coach Factory / Raebareli,
The CAO, Rail Wheel Plant, Bela.

Sub: Revision of rates of the Variable Dearness Allowance (VDA) for contract workers engaged in various employment/activities w.e.f. 01.10.2025.

Office of Central Labour Commissioner (C)/Ministry of Labour & Employment have issued orders Nos. (i) 1/6(1)/2025-LS-II (ii) 1/6(2)/2025-LS-II (iii) No. 1/6(3)/2025-LS-II (iv) No. 1/6(4)/2025-LS-II (v) No.1/6(5)/2025-LS-II (vi) No.1/6/2025-LS-II & (vii) No.1/6(7)/2025-LS-II, all are dated 25.09.2025 revising the rates of variable dearness allowance for contract workers engaged in (i) Agriculture (ii) Gypsum Mines, Barytes Mines, Bauxite Mines, Manganese Mines, China Clay Mines, Kyanite Mines, Copper Mines, Clay Mines, Magnesite Mines, White Clay Mines, Stone Mines, Steatite Mines (including the mines producing Soap Stones and Talc), Ochre Mines, Asbestos Mines, Fire Clay Mines, Chromite Mines, Quartzite Mines, Quartz Mines, Silica Mines, Graphite Mines, Felspar Mines, Laterite Mines, Dolomite Mines, Red Oxide Mines, Wolfram Mines Iron Ore Mines, Granite Mines, Rock Phosphate Mines, Hematite Mines, Marble and Calcite Mines, Uranium Mines, Mica Mines, Lignite Mines, Gravel Mines, Slate Mines and Magnetite Mines (iii) Construction or Maintenance of Roads or runways or in Building Operations including Laying Down Underground electric, Wireless, Radio, Television, Telephone, Telegraph and Overseas Communication Cables and Similar other Underground cabling work, Electric lines, Water supply lines and Sewerage Pipe Lines (iv) Loading and unloading in (a) Goods sheds, parcel offices of Railways, (b) other goods-sheds, go-downs, warehouses and other similar employments; (c) Docks and Ports; And (d) Passengers and goods and Cargo Carried out at Airports (Both International and Domestic) (v) Employment of sweeping and cleaning excluding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 (vi) Watch and Ward (With arms and without arms) and

(vii) Stone Mines are enclosed herewith for information and strict compliance. **The rates will be applicable w.e.f. 01.10.2025.**

2. Railways, being Principal Employer, are required to ensure that the contractors are complying with the provisions of the Contract Labour (R&A) Act, 1970 and Minimum wages Act, 1948 strictly and arranging prescribed minimum wages to the contract labourers.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of Ministry of Railways.

Please acknowledge receipt.

Kapasi
(Peeyush Kapasi)
Director, Estt.(LL)
Railway Board
Tele No.011-23047249

No. 2020/E(LL)/AT/MW/2

New Delhi dated: 30.10.2025

1. PFAs, All Zonal Railways and Production Units
2. Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi (10 spares).

V. Narasimha
for Member Finance Railway Board

No. 2020/E (LL)/AT/MW/2

New Delhi dated: 30.10.2025

1. The General Secretary, AIRF, NFIR (10 spares)
2. The Secretary General, IRPOF, FROA, AIRPFA (2 spares)
3. The General Secretary, AISC & ST Railway Employees Association.

Kapasi
(Peeyush Kapasi)
Director, Estt.(LL)
Railway Board
Tele No.011-23047249

Copy to: - JS, EDCE(G), EDCE(P), D(FM), DTC(R), DS (G), D/EnHM, DDF(E)I, F(E) I, E(NG)II, CE-I, TG-IV, Fuel, E (Rep) II and Stationery Branch, Railway Board.

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

सं. 2020/ई(एलएल)/एटी/एमडब्ल्यू/2

आरबीई सं. 113/2025
नई दिल्ली, दिनांक 30.10.2025

महप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां,
मेट्रो रेल कोलकाता, रेल विद्युतीकरण/प्रयागराज,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), सभी क्षेत्रीय रेलें,
महानिदेशक, आरडीएसओ/लखनऊ,
महानिदेशक/भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा,
महानिदेशक/इरीसेन, इरीन, इरिसेट, इरिमी, इरिटिम,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रेल डिब्बा कारखाना/रायबरेली,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/रेल पहिया संयंत्र/बेला

विषय: 01.10.2025 से विभिन्न रोजगार/गतिविधियों में नियुक्त संविदागत श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) की दरों में संशोधन।

कृपया केन्द्रीय श्रम आयुक्त (सी)/श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 25.09.2025 को जारी आदेश सं.(i) 1/6(1)/2025-एलएस-II (ii) 1/6(2)/2025-एलएस-II (iii) 1/6(3)/2025-एलएस-II (iv) सं.1/6(4)/2025-एलएस-II (v) सं.1/6(5)/2025-एलएस-II (vi) सं.1/6/2025-एलएस-II एवं (vii) सं.1/6 (7)/2025-एलएस-II के तहत (i) कृषि (ii) जिप्सम खानों, वैराइट खानों, बॉक्साइट खानों, मैंगनीज खानों, चाइना क्ले खानों, कायानाइट खानों, कॉपर खानों, क्ले खानों, मैग्नेसाइट खानों, सफेद मिट्टी की खानों, पत्थर की खानों, स्टेटाइट खानों (जिनमें साबुन पत्थर और टैल्क उत्पादक खान शामिल हैं), ओक्रे खानों, एस्बेस्टस खानों, फायर क्ले खानों, क्रोमाइट खानों, क्वाटर्जाइट खानों, क्वाटर्ज खानों, सिलिका खानों, ग्रेफाइट खानों, फेल्सपार खानों, लेटराइट खानों, डोलोमाइट खानों, रेड ऑक्साइड खानों, वोल्फ्राम खानों, लोह अयस्क खानों, ग्रेनाइट खानों, रॉक फॉस्फेट खानों, हीमैटाइट खानों, संगमरमर और कैल्साइट खानों, यूरेनियम खानों, अभ्रक खानों, लिग्नाइट खानों, ग्रेवेल खानों, स्लेट खानों और मैग्नेटाइट खानों (iii) सड़कों या रनवे या भवन संचालन निर्माण या रखरखाव, जिनमें भूमिगत इलेक्ट्रिक, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और समुद्रपार संचार केबलों और इसी प्रकार के अन्य भूमिगत केबलिंग कार्य, इलेक्ट्रिक लाइनों, जल आपूर्ति लाइनों और सीवरेज पाइप लाइन बिछाने (iv) लदान और उतराई (क) रेलवे के गुड्स शेड, पार्सल कार्यालय, (ख) अन्य गुड्स शेड, गो-डाउन, गोदाम, और अन्य समान रोजगार; (ग) डॉक एवं बंदरगाह, और (घ) हवाई अड्डों (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों) पर यात्रियों और माल और कार्गो का परिवहन (v) सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय (प्रतिषेध) अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रतिबंधित क्रियाकलापों को छोड़कर सफाई और स्वच्छता में नियोजन (vi) वाच एंड वाई (हथियार सहित और हथियार रहित) और (vii) पत्थर की खानों में नियुक्त संविदागत श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरों को संशोधित किया गया है और आपकी सूचना और कड़ाई से अनुपालन के लिए संलग्न हैं। ये दरें 01.10.2025 से प्रभावी होंगी।

2. रेलें, प्रधान नियोक्ता होने के नाते, यह सुनिश्चित करें कि ठेकेदार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन कर रहे हैं और संविदागत श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।

(पीयूष कपासी)

निदेशक, स्थापना (श्रम कानून)
रेलवे बोर्ड
दूरभाष सं. 011-23047249

सं. 2020/ई(एलएल)/एटी/एमडब्ल्यू/2

नई दिल्ली, दिनांक: 30.10.2025

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां
2. भारत के उपनियंत्रक और महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियां)

वित्त सलाहकार

कृते सदस्य वित्त रेलवे बोर्ड

सं. 2020/ई(एलएल)/एटी/एमडब्ल्यू/2

नई दिल्ली, दिनांक: 30.10.2025

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, एनएफआईआर (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, एफआरओए, एआईआरपीएफए (2 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एवं एसटी रेलवे एम्पलाइज एसोसिएशन।

कपासी

(पीयूष कपासी)

निदेशक, स्थापना (श्रम कानून)

रेलवे बोर्ड

दूरभाष सं. 011-23047249

प्रतिलिपि प्रेषित: संयुक्त सचिव, कार्यपालक निदेशक सिविल इंजीनियरी (जी), कार्यपालक निदेशक सिविल इंजीनियरी (पी), निदेशक (एफएम), निदेशक यातायात वाणिज्य (दर), उप सचिव (सामान्य), निदेशक/ईएनएचएम, उपनिदेशक वित्त(ई)।, एफ(ई)।, स्था.(एनजी)-II, सिविल इंजीनियरी-I, टीजी-IV, फ्यूल, ई (रिप) II और लेखन-सामग्री शाखा रेलवे बोर्ड।